यह निरीक्षण प्रतिवेदन, वित्त नियंत्रक उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय *वित्त नियंत्रक उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून*, के अवधि 01/2016 से 07 /2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री डी॰के॰ मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06-08 -2018 से 20-08-2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकरी के पर्यवेक्षण मे सम्पन्न की गई थी| जिसमे माह 01/2016 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी|

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरविंद शर्मा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी ,श्री राजा रंजन राव सहा॰ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्रीमती हिना सलीम, वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18/01/2016 से 29/01/2016 तक श्री शशि कान्त पांडे लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2013 से 12/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान मे माह 01/2016 से 07/2018 तक के अभिलेखो की जांच की गयी थी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** संस्थान वित्त नियंत्रक उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून के कार्यालय की रेलवे स्टेशन से दूरी 12 किलो मीटर है। तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून का कार्यालय नेशनल हाइवे पर स्थित हैं । कार्यालय के दायी और राजकीय महिला पॉलीटेक्निक का कार्यालय है। तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून से ज़िला कार्यालय की दूरी 13 किलो मीटर है| उत्तराखंड मे तकनीकी शिक्षा की उन्नति और विकास के लिए तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और उससे संबन्धित आनुषंगिक विषयों पर व्यवस्था के लिए।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	प्रा॰ शे॰	वर्ष मे प्राप्तियाँ केन्द्रांश	वर्ष में प्राप्तियाँ राज्यांश	वर्ष में प्राप्तियाँ अनन्य	वर्ष मेँ कुल प्राप्तिया	व्यय	अंतिम अवशेष
2015-16	3249.39	-	47.37	3011.10	6307.86	4835.00	1472.86
2016-17	1472.86	-	33.58	2599.83	4106.27	2929.430	1176.84
2017-18	1176.84	-	46.40	2692.00	3915.24	1458.78	2456.46
2018-19	2456.46	-	-	717.98	3174.44	410.75	2763.69

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (CDTP) के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष		**प्राप्त धनराशि**				
	प्रा॰ शेष	**आवंटन**	**ब्याजआदि प्राप्तियाँ**	**योग**	**व्यय**	**बचत**
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017 -18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19 व्यय 06/18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय

(iv) को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत ,राज्य सरकार / भारत सरकार है ।

(v) इकाई की श्रेणी "बी " है

(vi) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

कुलसचिव
↓
उपकुल सचिव
↓
सहायक कुलसचिव
↓
सहायक सचिव
↓
प्रसाशनिक अधिकारी
↓
वित्त नियंत्रक
↓
सहायक लेखा अधिकारी
↓
लेखाकार
↓
परीक्षा नियंत्रक
↓
उप परीक्षा नियंत्रक
↓
सहायक परीक्षा नियंत्रक

(vii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में *वित्त नियंत्रक* उत्तराखंड *तकनीकी विश्वविध्यालय देहरादून* की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण *वित्त नियंत्रक* उत्तराखंड *तकनीकी विश्वविध्यालय देहरादून* की लेखापरीक्षा

में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/16 एवं 07/16 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी|

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1:- शासन से प्राप्त धनराशि ₹ 10.25 करोड़ का उपयोग न कर **पी एल ए खाते में अनुपयुक्त** पड़े **रहना।**

हस्तपुस्तिका मे निहित प्रविधानों के अनुसार एवं भुगतान एवं प्राप्ति नियमावली-1983 के नियम -160 के अनुसार कोई भी धनराशि विगत तीन वर्षों से अनुपयोगी रहने की स्थिति मे स्वतः व्यपगत हो जाती है, आहरण वितरण अधिकारों का दायित्व होता है कि सक्षम प्राधिकारी को सूचित करते हुए वह अनुपयोगी धनराशि को राजस्व प्राप्ति के रूप मे समायोजित कराना सुनिश्चित करें । कार्य पूर्ण होने पर अवशेष राशि यदि कोई हो, तो शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए ।

कार्यालय वित्त नियंत्रक उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून के अवधि 01/2016 से 07/2018 तक लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि विभाग के अंतर्गत पी एल ए खाते मे कुल ₹ **1505.95 लाख** की धनराशि अनुपयोगी/अप्रयुक्त पड़ी हुए थी। जिसका मद वार विवरण निम्नवत हैं ।

क्रमसंख्या	**वर्ष**	**ज़िले का नाम**	**मद का नाम**	**अवशेष (धनराशि-लाख मे)**
01	2013-14 से 2014-15 तक	गोपेश्वर(चमोली)	विभिन्न इंजीन्यरिंग संस्थानो के अनावासियों भवन निर्माण हेतु	200.00
02	2013-14 से 2014-15 तक	बौन(उत्तरकाशी)	विभिन्न इंजीन्यरिंग संस्थानो के अनावासियों भवन निर्माण हेतु	225.00
03	2012-13 से 2014-15 तक	सुद्दोवाला(देहरादून)	विभिन्न इंजीन्यरिंग संस्थानो के अनावासियों भवन निर्माण हेतु	680.95
04	2013-14 से 2014-15 तक	टनकपुर(चंपावत)	विभिन्न इंजीन्यरिंग संस्थानो के अनावासियों भवन निर्माण हेतु	400.00
				1505.95

₹ 1505.95 लाख में से ₹ 480.95 लाख जिलाधिकारी पौड़ी के पी0एल0ए0 खाते मे तथा ₹ 1025.00 लाख जिलाधिकारी देहारादून के पी0एल0ए0 खाते मे जमा है। आगे संप्रेक्षा जांच मे पाया गया हैं कि पी0एल0ए0 खाते द्वारा विभिन्न ज़िलो को वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही ₹ 795.00 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्थाओ को निर्गत की गयी। इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया है कि अगले वित्त वर्ष मे उक्त धनराशि का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। उक्त धनराशि इकाई द्वारा जनहित मे विश्वविद्यालय की निजी आय से आहरित की गयी थी। संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे अवगत कराया गया हैं कि उपरोक्त धनराशि जनहित मे जारी कि गयी थी।

धनराशि **₹ 1025** लाख DM देहरादून के पी एल ए खाते में अनुपयुक्त पड़ी हुई थी।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि पी0एल0ए0 खाते से धनराशि का आहरण करने हेतु शासन से कई बार पत्राचार किया परंतु धनराशि प्राप्त नहीं हुई ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग ने अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि में धनराशि पी एल ए खाते मे रखी गयी, लेकिन 06 वर्ष का समय बीत जाने के पश्चात भी उक्त धनराशि को व्यय किए जाने हेतु विभाग द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया जिससे स्पष्ट था कि विभागीय उदासीनता के कारण शासन से प्राप्त धनराशि **₹ 10.25 करोड़** पी एल ए खाते में अनुपयुक्त पड़ी हुई थी।

₹ 10.25 करोड़ का उपयोग न कर पी एल ए खाते में अनुपयुक्त पड़े होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- धनराशि ₹ 8.29 लाख का समायोजन न होना।

कार्यालय वित्त नियंत्रक तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच मे पाया कि तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा निंम्नलिखित अधिकारियों /कर्मचारियों को अग्रिम के रूप मे धनराशि वितरित की गई है जिसका लेखा परीक्षा अवधि तक उक्त धनराशि का समायोजन नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न है |

क.स.	कर्मचारी का नाम	दिनाँक	अग्रिम की धनराशि	समायोजन	बकाया शेष
1-	गणेश सिंह रावत	24-2-2016	100000	-----	
		05-03-2016	30000	----	
		17-11-2016	-	25000	105000
2-	कुँवर सिंह वैशला	19-01-2016	50000	------	-------
		30-03-2016	300000	--------	---------
		03-06-2016	300000	----------	650000
3-	विकाश चौहान	04-03-2016	25750	2563	
		30-03-2016	9399	23187	9399
		07-04-2016	----------	--------	--------
		25-04-2016	----------	----------	---------
4-	अरुण बलोदी	25-01-2018	20000	---------	20000
5-	कुलविंदरा	25-01-2018	20000	---------	20000
6-	शबली गुरंग	22-12-2017	25000	----------	25000
	योग	------	------	--------	**8,29,399**

इस प्रकार संस्थान के कर्मचारियो द्वारा कुल धनराशि ₹ 8,29,399/- का माह 02/2016 से 01/2018 तक अग्रिम के रूप मे आहरण किया गया| वित्तीय नियमावली खंड -5 के नियम 162 (7) के अनुसार अग्रिम के आहरण का समायोजन एक माह के अन्दर या वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक हो जाना चाहिय था| जो संप्रेक्षा अवधि तक नहीं किया जा सका| सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि समायोजन कि कार्यवाही कि जाएगी| विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा दिये गए अग्रिम के समायोजन हेतु अभी तक विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गये थे|

अत: धनराशि ₹ 8,29,399/-का समायोजन न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- रु. 41.49 लाख की सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का पालन न किया जाना।

कार्यालय उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून के लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा वर्ष 2016-17, 2017-18 में इलेक्ट्रिक सामग्री एवं फर्नीचर क्रय हेतु धनराशि रु. 41.49 लाख का व्यय किया गया। इस संदर्भ में उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे.आ.सा.नि.) अनुभाग-7 संख्या/130/xxvii(7)32/2017 देहरादून; दिनांक 14 जुलाई 2017, पैरा 7(2) एवं 7(3) के अनुसार विभाग को भारत सरकार के केन्द्रीय क्रय संगठन यथा पूर्ति ओर निपटान महानिर्देशक (डी जी एस एंड डी) द्वारा की गयी दर संविदा के आधार पर सामग्री क्रय करने के लिए प्राधिकृत किया जाना अनिवार्य है। गोवरमेंट ई- मार्किट प्लेस (GeM) पोर्टल पर सामग्री क्रय की जाने प्रक्रिया भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम 2017, के अनुसार होना अनिवार्य है। विभाग द्वारा उपरोक्त व्यय वर्तमान विनिर्धारित नियमों का पालन न करके किया गया है। सामग्री क्रय करने से पूर्व कार्यालय द्वारा कोई टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कार्यालय द्वारा उपरोक्त खरीदारी टुकडों में की गयी और न ही कोई advertisement किसी newspaper में दिया गया। विभाग द्वारा न तो भारत सरकार के केन्द्रीय क्रय संगठन यथा पूर्ति ओर निपटान महानिर्देशक (डी जी एस एंड डी) द्वारा की गयी दर संविदा के आधार पर सामग्री क्रय करने का पालन नहीं किया गया और न ही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का पालन किया गया। इस संदर्भ सम्परीक्षा दल द्वारा विभाग से पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि भविष्य हेतु नोट किया गया। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4- स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक कार्मिकों की तैनाती के संबंध में।

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय में उत्तराखण्ड शासन के संख्या एवं दिन क -GO N O 1045/xxiv(8)/2005-39/2005 दिनांक 07.02.2016 के अनुसार विश्वविद्यालय में 104 पद स्वीकृत थे तथा लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल भरे पदों की संख्या 66 और रिक्त पदों की संख्या 38 थी। इसके सापेक्ष कार्यालय द्वारा वर्ष 2009-10 से आउट सोर्स के माध्यम से 58 कर्मचारी रखे गये थे। इस प्रकार 20 कार्मिक विभिन्न पदों पर आउट सोर्स माध्यम से अतिरिक्त रखे गये थे। इस संबंध में विभाग से पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि 20 पदों पर सेवाएँ अतिरिक्त तौर पर ली जा रही है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है। विभाग के पास Sanctioned strength 104 है जिसके सापेक्ष 66 भरे पद है और रिक्त पद विभाग के पास केवल 38 है परन्तु विभाग ने 58 पद Outsource के माध्यम से भरे है तो इस प्रकार कुल 20 पद अतिरिक्त भरे गये है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1:- उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा कराये गए अधूरे निर्माण कार्यों के एवज़ मे अवमुक्त ₹ 588.89 लाख की धनराशि के सापेक्ष कार्यदाई संस्था द्वारा ₹ 260.73 lakh की धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं पूर्ण निर्माण कार्यो के सापेक्ष ₹ 661.37 लाख तथा ₹ 61.16 लाख (₹ 260.73 लाख + ₹ 61.16 लाख) = ₹ 938.26 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र संप्रेक्षा समाप्ति तिथि -20/07/2018 तक उपलब्ध न कराने के संबंध में।

कार्यालय वित्त नियंत्रक उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा संचालित निर्माण कार्यों की संप्रेक्षा जांच मे पाया गया है कि द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 मे निम्न निर्माण कार्यों को इकाई द्वारा संचालित किया गया था जिसमें से निम्न कार्यों/योजनाओं के निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाणपत्र संप्रेक्षा समाप्ति तिथि -20/0८/2018 तक इकाई को कार्यदाई संस्था से अप्राप्त थे, जिनका विवरण निमन्वत है।

क्रम संख्या	कार्यों हेतु स्वीकृती के शासनादेश एवं तिथि	निर्माण कार्यों /योजना का नाम	स्वीकृती धनराशि(लाख)	अवमुक्त धनराशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित(लाख मे)
01	287/एक्सएलआई-1/2014-15/13 दिनाक-29/03/14	सीमांत तकनीकी संस्थान pithrogarh के भवन अनवासीय निर्माण कार्य हेतु।	2273.25	1219.29	27.05
02	287/एक्सएलआई-1/2014-15/13 दिनाक-29/03/14	इंजीन्यरिंग कॉलेज गोपेस्वर के अनवासीय भवन निर्माण कार्य हेतु।	2109.38	2008.72	68.30
03	287/एक्सएलआई-1/2014-15/13 दिनाक-29/03/14	इंजीन्यरिंग कॉलेज उत्तरकाशी के अनवासीय भवन निर्माण कार्य हेतु।	2273.88	1575.00	-
04	287/एक्सएलआई-1/2014-15/13 दिनाक-29/03/14	इंजीन्यरिंग कॉलेज टनकपुर के अनवासीय भवन निर्माण कार्य हेतु	2073.35	1295.96	100.00
05	10/10/2013	प्रशासनिक भवन की चारदीवारी निर्माण suddhuvala	155.04	139.54	139.54
06	25/11/13	तकनीकी संस्थान गोपेश्वर हेतु निर्मित प्रेफब्रिकटेड स्टील स्ट्रक्चर तक पुहुंच मार्ग हेतु।	51.00	46.00	46.00
06	31/12/16	वित्तीय प्रशासन मे शोध	100.00	49.00	49.00

		एवं प्रशिक्षण केंद्र सुद्दधोवाला तक संपर्क मार्ग का निर्माण			
07	15/09/15	माननीय कुलपति आवास निर्माण	178.00	159.00	159.00
योग					₹ 588.89

उक्त प्रकरण मे कार्यदाई संस्था के द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराना एवं इकाई द्वारा कार्य समाप्ति रिपोर्ट की निगरानी मे शिथिलता बरती गयी थी। इस संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इकाई से पूछने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे इस कार्यालय को अवगत कराया गया हैं कि ₹ 260.73+ ₹ 661.37 + ₹ 61.16 = ₹ 983.26 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा को प्रेषित कर दिये जायेगें। इकाई का उत्तर संप्रेक्षा मे मान्य नहीं हैं क्योंकि उनके द्वारा कार्य समाप्ति रिपोर्ट की निगरानी मे शिथिलता बरती गयी थी।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
63/2010-11	1,2,3,4,व 05	1,2,3	1
48/2011-12	1,2,3	1,2,3,4,5,6,7 व 8	1,2
107/2012-13	शून्य	1,2,3	1
182/2015-16	01	1,2,3,5(क) ,5(ख) ,7	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
संबन्धित अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों से संस्तुति के उपरांत लेखा परीक्षा कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने शून्य तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित

अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम / पदनाम	दिनांक
1.	श्री प्रमोद कुमार जोशी कुलसचिव	25-09-2015 से 13-01-16 तक
2.	श्री विजय जुयाल कुलसचिव	13-01-2016 से 24-09-16 तक
3.	श्री डॉ. अनीता रावत कुलसचिव	01-01-2017 से वर्तमान

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति ***वित्त नियंत्रक* उत्तराखंड *तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून*** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.